न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 141/2024
अनवान : –

1. बलवीरो बाई पुत्री लालुराम जाति बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. छिन्द्रपाल पुत्र लालुराम जाति बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. लखमेर पुत्र लालुराम जाति बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. अमरजीत कौर पुत्री लालुराम बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. गरमीत पुत्री लालुराम बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. पीलो पुत्री लालुराम बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय फेफाना तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 23/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 95/82 की कुल 3.7950 भूमि में 6325/18971 हिस्सा भूमि मृतक लाधुराम व रोही मौजा चक 2 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 79/79 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि लालुराम के नाम दर्ज है।

वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मृतक लालुराम के जायज वारिसान बहिब के काश्तकार है जिनका जमाबंदी में विरासन नामान्तरण प्रक्रियाधीन है लेकिन उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम भी दर्ज होना था लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 अकेले उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है जिससे वादीया को अपूर्णीय क्षति होगी। लालुराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो [illegible] तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने राजीनामा इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 95/82 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 6325/18971 हिस्सा भूमि में मृतक लालुराम पुत्र बुधराम का नाम कलमजन किया जाकर 0.0506 हैक्ट भूमि का वादीया को व शेष 1.2144 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसी अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है तो उभयपक्ष को कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का राजीनाम प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 95/82 की कुल 3.7950 भूमि में 6325/18971 हिस्सा भूमि मृतक लाधुराम व रोही मौजा चक 2 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 79/79 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि लालुराम के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि मुताबिक राजीनामा वाद वादीया डिक्री किया जाता है तो हम उभयपक्ष को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा उभयपक्ष की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 95/82 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 6325/18971 हिस्सा भूमि में मृतक लालुराम पुत्र बुधराम का नाम कलमजन किया जाकर 0.0506 हैक्ट भूमि का वादीया को व शेष 1.2144 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीलन जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 141/2024

अनवान : –

1. बलवीरो बाई पुत्री लालुराम जाति बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. छिन्द्रपाल पुत्र लालुराम जाति बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. लखमेर पुत्र लालुराम जाति बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. अमरजीत कौर पुत्री लालुराम बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. गरमीत पुत्री लालुराम बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. पीलो पुत्री लालुराम बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय फेफाना तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 141 सन 2024 निर्णय दिनांक – 23/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 95/82 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 6325/18971 हिस्सा भूमि में मृतक लालुराम पुत्र बुधराम का नाम कलमजन किया जाकर 0.0506 हैक्ट भूमि का वादीया को व शेष 1.2144 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:21 IST
Reason: SelfAttested